

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक :- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश : 1406 /2021

दिनांक 29.06.2021

श्रीमती सलोनी सक्सेना (RJ1171), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर को दिनांक 26.06.2021 से 22.12.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) म्त्रीकृत किया जाना है।

श्री मनीष शर्मा (RJ1038), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर को श्रीमती सलोनी सक्सेना के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निम्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निम्तारण किया जावे।
2. श्री मनीष शर्मा (RJ1038), जिनको विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निम्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी. 2(4)/36/2017/ 4118

दिनांक 29.06.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन मन्त्रि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 18231 दिनांक 14.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती सलोनी सक्सेना (RJ1171), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर।
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-02, अलवर।
5. श्री मनीष शर्मा (RJ1038), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) प्रकरण क्रम-01, अलवर।
7. संयुक्त कोषालय।
8. संयुक्त लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार